कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह (म0प्र0)

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य,परिवार कल्याण एवं टीकाकरण कार्यक्रम से जुडी सेवाओं की सांख्यकी एवं आन लाईन ऐंट्री के लिये भारत सरकार ने अनमोल नामक एप बनाया है। जिले में पदस्थ समस्त ए.एन.एम. को इस एप का उपयोग 01 अगस्त 2018 से करना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः 01 अगस्त के पूर्व समस्त ए.एन.एम. को परिशिष्ट ए–1 में वर्णित स्पेसफिकेशन का टेबलेट कय करना अनिवार्य है। ए.एन.एम. को उनके द्वारा कय किये गये टेबलेट का मूल्य या रू. 9000.00 की राशि की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो की जावेंगी। जिले में पदस्थ ए.एन.एम. को उच्च गुणवत्ता बाले टेबलेट उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो इस उद्देश्य से दिनांक 18.07.2018 को जिला प्रशिक्षण केन्द्र, जटाशंकर बीड़ी कालोनी दमोह के प्रांगण में प्रातः 10:30 बजे से 05:30 बजे तक स्टॉल लगाया जाना निर्धारित किया गया है ताकि जिले की समस्त ए. एन.एम. निर्धारित तिथि को प्रांगण में उपस्थित होकर अपनी सुविधा अनुसार टेबलेट कय कर सकें। इच्छुक कंपनी अथवा उनके अधिकृत डीलर को निर्धारित स्थल पर उनकी आवश्यकता अनुसार स्थल उपलब्ध कराया जावेंगा एवं उन्हें निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व स्टाल लगाने की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

स्टॉल लगाने के लिये संबंधित कंपनी को संलग्न परिशिष्ट ए–2 अनुसार आवेदन और उसमें वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगें। कंपनी/अधिकृत डीलर को निम्न लिखत शर्तो का पालन करना होगा।

नियम/शर्ते

1. कंपनी/अधिकृत डीलर को निर्धारित तिथि को निर्धारित स्पेसफिकेशन या उससे अधिक स्पेसफिकेशन वाले टेबलेट प्रदर्शित करना होगें, ताकि जिले में पदस्थ ए.एन.एम. अपनी आवश्यकता/रूचि अनुसार माडल पसंद कर कय कर सकें।
2. संबंधित ब्रांड/कंपनी का जिले में अधिकृत सर्विस सेंटर होना चाहियें अथवा टेबलेट खराब होने पर उसकी रिपेंरिंग अथवा गांरटी पीरियड में उसे बदलने की एक सप्ताह में व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
3. ए.एन.एम. द्वारा कय किये गये टेबलेट का भुगतान रू. 9000.00 की प्रतिपूर्ति करने के पूर्व जिला तकनीकि समिति द्वारा आवश्यक जॉच कर देखा जावेंगा कि संबंधित टेबलेट निर्धारित स्पेसफिकेशन या उससे अधिक स्पेसफिकेशन का हैं अथवा नही।
4. स्टाल पर कोई डीलर/कंपनी निर्धारित स्पेसफिकेशन या उससे अधिक स्पेसफिकेशन के टेबलेट प्रदर्शित कर सकते है, परंतु निर्धारित स्पेसफिकेशन से कम का टेबलेट कंपनी/डीलर द्वारा प्रदाय नही किया जावेंगा।
5. टेबलेट की अधिकतम राशि 9000/– रू. समस्त करों सहित शासन द्वारा निर्धारित की गई है।
6. टेबलेट स्पेसफिकेशन परिशिष्ट ए–1 के अनुसार न्यूनतम होना चाहिऐं।
7. कंपनी/डीलर निर्धारित मापदंड के विभिन्न माडलो के टेबलेट भी वितरण हेतु प्रस्तुत कर सकते है।
8. टेबलेट पर कम से कम 01 वर्ष की वांरटी प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
9. टेबलेट वितरणकर्ता (डीलर/कंपनी) को दिनांक 13.07.18 तक अपना प्रस्ताव जिसमें टेबलेट निर्माता कंपनी, माडल का नाम, नंबर उसका स्पेसफिकेशन, दर इत्यादि स्थानीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पूर्व परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. टेबलेट का कय ए.एन.एम. द्वारा किया जावेगा। यदि कोई ए.एन.एम. 9000.00 रू. से अधिक राशि/स्पेसफिकेशन का टेबलेट पंसद करती है तो अंतर की राशि का भुगतान संबंधित द्वारा स्वंय किया जावेंगा। यदि 9000.00 रू. से कम राशि का टेबलेट कय किया जाता है तो वास्तिविक राशि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ए.एन.एम. को की जावेगी।

Chief Medical & Health
Officer Damoh (M.P.)

परिशिष्ट ए–1

ए.एन.एम. द्वारा कय किये जाने वाले टेबलेट हेतु न्यूनतम स्पेसिफिकेशन

Features	Specification
Cellular Conectivity	4G Volte/LTE
Operating System	Android Lollipop 5.1 or Higher
Processor	1.5 GHz Quad Core Processor or Higher
Data Support	GPRS Class 12/HSPA+ 21 Mbps (3G) /LTE 150/50 or Higher
Display Size	7 Inch or Higher
Display Type	LCD or Higher
Display Resolution	1280X800
RAM Size	1.5 GB or Higher
Internal Storage Capacity	8 GB Or Higher
Card Slot	Micro SD Up to 200 GB
Front Camera	2 MP or Higher
Rear Camera	5 MP or Higher
Battery Capacity	4000 mAH battery or Higher
SD Card	16 GB or Higher
Tempered Glass	Yes
Tablet Cover	Yes
Warranty	Min. 1 Year
Service Centre	At District/Sub District Level

Chief Medical & Health
Officer Damoh (M.P.)

परिशिष्ट ए–2

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला दमोह म.प्र.

विषय :– मैदानी स्तर पर पदस्थ ए.एन.एम. को अनमोल एप हेतु टेबलेट प्रदाय किये जाने बावत् प्रारूप।

अधिकृत डीलर अथवा कंपनी का नाम एवं पता	....
किस कंपनी के टेबलेट के अधिकृत डीलर है	....
कंपनी के सर्विस सेंटर का पता	....
कंपनी का अधिकृत प्रमाण पत्र	....
कौन से टेबलेट प्रदर्शित करना चाहते है	....
उसका माडल नंबर, नाम, स्पेसफिकेशन	....
	....
	....
प्रदर्शित टेबलेट का मूल्य	....
जी.एस.टी. प्रमाण पत्र	....

दिनांक ....

नाम एवं पदमुद्रा ....

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह (म0प्र0)

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य,परिवार कल्याण एवं टीकाकरण कार्यक्रम से जुडी सेवाओं की सांख्यकी एवं आन लाईन ऐंट्री के लिये भारत सरकार ने अनमोल नामक एप बनाया है। जिले में पदस्थ समस्त ए.एन.एम. को इस एप का उपयोग 01 अगस्त 2018 से करना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः 01 अगस्त के पूर्व समस्त ए.एन.एम. को परिशिष्ट ए–1 में वर्णित स्पेसफिकेशन का टेबलेट क्रय करना अनिवार्य है। ए.एन.एम. को उनके द्वारा क्रय किये गये टेबलेट का मूल्य या रू. 9000.00 की राशि की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो की जावेंगी। जिले में पदस्थ ए.एन.एम. को उच्च गुणवत्ता बाले टेबलेट उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो इस उद्देश्य से दिनांक 18.07.2018 को जिला प्रशिक्षण केन्द्र, जटाशंकर बीड़ी कालोनी दमोह के प्रांगण में प्रातः 10:30 बजे से 05:30 बजे तक स्टॉल लगाया जाना निर्धारित किया गया है ताकि जिले की समस्त ए. एन.एम. निर्धारित तिथि को प्रांगण में उपस्थित होकर अपनी सुविधा अनुसार टेबलेट क्रय कर सकें। इच्छुक कंपनी अथवा उनके अधिकृत डीलर को निर्धारित स्थल पर उनकी आवश्यकता अनुसार स्थल उपलब्ध कराया जावेंगा एवं उन्हें निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व स्टाल लगाने की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

स्टॉल लगाने के लिये संबंधित कंपनी को संलग्न परिशिष्ट ए–2 अनुसार आवेदन और उसमें वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगें। कंपनी/अधिकृत डीलर को निम्न लिखत शर्तो का पालन करना होगा।

नियम/शर्ते

1. कंपनी/अधिकृत डीलर को निर्धारित तिथि को निर्धारित स्पेसफिकेशन या उससे अधिक स्पेसफिकेशन वाले टेबलेट प्रदर्शित करना होगें, ताकि जिले में पदस्थ ए.एन.एम. अपनी आवश्यकता/रूचि अनुसार माडल पसंद कर क्रय कर सकें।
2. संबंधित ब्रांड/कंपनी का जिले में अधिकृत सर्विस सेंटर होना चाहियें अथवा टेबलेट खराब होने पर उसकी रिपेंरिंग अथवा गांरटी पीरियड में उसे बदलने की एक सप्ताह में व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
3. ए.एन.एम. द्वारा क्रय किये गये टेबलेट का भुगतान रू. 9000.00 की प्रतिपूर्ति करने के पूर्व जिला तकनीकि समिति द्वारा आवश्यक जॉच कर देखा जावेंगा कि संबंधित टेबलेट निर्धारित स्पेसफिकेशन या उससे अधिक स्पेसफिकेशन का हैं अथवा नही।
4. स्टाल पर कोई डीलर/कंपनी निर्धारित स्पेसफिकेशन या उससे अधिक स्पेसफिकेशन के टेबलेट प्रदर्शित कर सकते है, पंरतु निर्धारित स्पेसफिकेशन से कम का टेबलेट कंपनी/डीलर द्वारा प्रदाय नही किया जावेंगा।
5. टेबलेट की अधिकतम राशि 9000/– रू. समस्त करों सहित शासन द्वारा निर्धारित की गई है।
6. टेबलेट स्पेसफिकेशन परिशिष्ट ए–1 के अनुसार न्यूनतम होना चाहिऐं।
7. कंपनी/डीलर निर्धारित मापदंड के विभिन्न माडलो के टेबलेट भी वितरण हेतु प्रस्तुत कर सकते है।
8. टेबलेट पर कम से कम 01 वर्ष की वांरटी प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
9. टेबलेट वितरणकर्ता (डीलर/कंपनी) को दिनांक 13.07.18 तक अपना प्रस्ताव जिसमें टेबलेट निर्माता कंपनी, माडल का नाम, नंबर उसका स्पेसफिकेशन, दर इत्यादि स्थानीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पूर्व परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. टेबलेट का क्रय ए.एन.एम. द्वारा किया जावेगा। यदि कोई ए.एन.एम. 9000.00 रू. से अधिक राशि/स्पेसफिकेशन का टेबलेट पंसद करती है तो अंतर की राशि का भुगतान संबंधित द्वारा स्वंय किया जावेंगा। यदि 9000.00 रू. से कम राशि का टेबलेट क्रय किया जाता है तो वास्तिविक राशि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ए.एन.एम. को की जावेगी।

Chief Medical & Health Officer Damoh (M.P.)

परिशिष्ट ए–1

ए.एन.एम. द्वारा कय किये जाने वाले टेबलेट हेतु न्यूनतम स्पेसिफिकेशन

Features	Specification
Cellular Conectivity	4G Volte/LTE
Operating System	Android Lollipop 5.1 or Higher
Processor	1.5 GHz Quad Core Processor or Higher
Data Support	GPRS Class 12/HSPA+ 21 Mbps (3G) /LTE 150/50 or Higher
Display Size	7 Inch or Higher
Display Type	LCD or Higher
Display Resolution	1280X800
RAM Size	1.5 GB or Higher
Internal Storage Capacity	8 GB Or Higher
Card Slot	Micro SD Up to 200 GB
Front Camera	2 MP or Higher
Rear Camera	5 MP or Higher
Battery Capacity	4000 mAH battery or Higher
SD Card	16 GB or Higher
Tempered Glass	Yes
Tablet Cover	Yes
Warranty	Min. 1 Year
Service Centre	At District/Sub District Level

Chief Medical & Health
Officer Damoh (M.P.)

परिशिष्ट ए–2

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला दमोह म.प्र.

विषय :– मैदानी स्तर पर पदस्थ ए.एन.एम. को अनमोल एप हेतु टेबलेट प्रदाय किये जाने बावत् प्रारूप।

अधिकृत डीलर अथवा कंपनी का नाम एवं पता	....
किस कंपनी के टेबलेट के अधिकृत डीलर है	....
कंपनी के सर्विस सेंटर का पता	....
कंपनी का अधिकृत प्रमाण पत्र	....
कौन से टेबलेट प्रदर्शित करना चाहते है	....
उसका माडल नंबर, नाम, स्पेसफिकेशन	....
	....
	....
प्रदर्शित टेबलेट का मूल्य	....
जी.एस.टी. प्रमाण पत्र	....

दिनांक ....

नाम एवं पदमुद्रा ....